

कार्यालय नियंत्रक, नाप तौल, म.प्र. भोपाल

क्रमांक 1548 / नातौ / अ-1(1) / एफ-33 / 2004,

भोपाल दिनांक 1.4.84

प्रति,

समस्त निरीक्षक,
नाप तौल, म.प्र.

विषय:- मेटलिक वस्तुओं के निर्माताओं / पैकरों के वरुद्ध कार्यवाही करने बावत्।

विषयान्तर्गत अवगत कराया जाता है कि पी.सी.आर. अधिसूचना क्रं. जी.एस. आर 666(ई) दिनांक 25.9.82 में किये गये संशोधनों के अनुसार सभी निर्माताओं को उनके द्वारा निर्मित उत्पादन के पैकिंग पर निर्माण का माह व वर्ष डालना आवश्यक है। चूंकि मेटलिक वस्तुओं के निर्माताओं / पैकरों को उनके पालन से कुछ कठिनाई होने से उन्होंने भारत सरकार से संपर्क कर इस तथ्य से अवगत कराया था, भारत सरकार द्वारा उनकी कठिनाईयों का दृष्टिगत रखते हुए पत्र क्रं. डब्लू.एम.-10(3)02 पीटी दिनांक 21.1.2003 द्वारा निर्देशित किया गया है कि इन संस्थानों के विरुद्ध उपरोक्त कमी के कारण अभी छः माह तक कोई कार्यवाही न की जावे। अतः भारत सरकार के निर्देशानुसार मेटलिक वस्तुओं जैसे- आटो पार्ट्स, या धातु के उपकरण के निर्माताओं / पैकरों के विरुद्ध छः माह तक कोई अभियोजन की कार्यवाही न की जावे।

नियंत्रक

नाप तौल, म.प्र. भोपाल

पृ.क्रं. 1549 / नातौ / अ-1(1) / एफ-33 / 2004

भोपाल दिनांक 1.4.2004

प्रतिलिपि :-

समस्त उप/सहायक नियंत्रक, नाप तौल, म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

नियंत्रक

नाप तौल, म.प्र. भोपाल